श्रम एवं रोज़गार विभाग की वित्त वर्ष 2009–2010 की वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट

अध्याय–1

परिचय

श्रम एवं रोज़गार विभाग वर्ष,1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है–तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आशावादी लोगों की सेवा में दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग में मुख्यतः तीन खण्ड– श्रम,कारखाना एवं रोज़गार हैं श्रम खण्ड का मुख्य कार्य, श्रम कानूनों, जिनकी संख्या 30 (केन्द्रीय एवं राज्य) हैं,का प्रभावी ढंग से लागू किया जाना तथा नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के मध्य शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में योगदान करना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अर्न्तगत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतू स्थापित दो श्रम न्यायालय व औद्योगिक अधिकरणों में पूरे समय के लिये दो पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय शिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम,1948 के अर्न्तगत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण,नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यन्वयन किया जाता है।

रोज़गार शाखा का मुख्य कार्य हिमाचल प्रदेश में रोज़गार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण,मार्गदर्शन तथा सार्वजनिक व निजि

क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के लिए नाम संम्प्रेषित करना एवं मार्गदर्शन देना इत्यादि मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम,1959 तथा नियम,1960 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत सार्वजनिक/निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2009–2010 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा तथा बजट विवरण इस प्रशासनिक रिर्पोट के अगले भागों में दिया गया है ।

अध्याय–2

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा

श्रम एवं रोज़गार विभाग माननीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री की देख रेख में कार्य करता है जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार), तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोज़गार) द्वारा सहयोग दिया जाता है ।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार "विभागाध्यक्ष" के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है:–

1. निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार की देखरेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप–श्रमायुक्त तथा श्रम–निरीक्षक (मुख्यालय) द्वारा संचालित किया जाता है । इसके अतिरिक्त, कारखाना अधिनियम,1948 के अर्न्तगत श्रमायुक्त "मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं तथा संयुक्त–श्रमायुक्त "अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं।

अधीनस्थ कार्यालयों में कारखाना अधिनियम,1948 को कार्यान्वित करने के लिये तीन सहायक निदेशक कारखाना के पद सृजित हैं। जिनमें से दो का मुख्यालय शिमला में (दो सहायक निदेशक कारखाना के पदो में से एक पद 1.5. 2004 से रिक्त है, और इसका कार्यभार मुख्यालय मे कार्यरत सहायक निदेशक कारखाना देख रहे हैं) तथा एक का मुख्यालय ऊना में स्थित है ।

इन का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित हैः–

1. <u>सहायक निदेशक कारखाना–शिमला</u>
   जिला–शिमला,किन्नौर,बिलासपुर,सोलन (बद्धी,बरोटीवाला,नालागढ के औद्योगिक क्षेत्र को छोडकर)
2. <u>सहायक निदेशक कारखाना,ऊना</u>
   जिला–कांगडा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लु, लाहौल–स्पीति व सिरमौर तथा बद्धी, बरोटीवाला तथा नालागढ का औद्योगिक क्षेत्र।

इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोज़गार से सम्बन्धित कार्य–कलापों के लिये श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार की देख–रेख में उप–निदेशक रोज़गार,रोज़गार बाजार सूचना अधिकारी,प्रभारी अधिकारी स्थापना विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु), राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन अधिकारी तथा रोज़गार अधिकारी (केन्द्रीय रोज़गार कक्ष) आवेदकों को रोज़गार सहायता उपलब्ध करवाने तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सहायता करते हैं।

2. <u>श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण</u>:

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं । श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.श्रम अधिकारी,शिमला	उप–मण्डल शिमला (शहरी एंव ग्रामीण),उप मण्डल चौपाल एंव ठियोग तहसील
2. श्रम अधिकारी,रामपुर	रामपुर,रोहडू तथा डोडरा–क्वार उप–मण्डल तथा कुमारसैन तहसील जिला शिमला तथा उप–मण्डल आनी जिला कुल्लू
3. श्रम अधिकारी, सोलन	उप–मण्डल सोलन,कण्डाघाट,अर्की तथा कसौली तहसील(बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोडकर)

4. श्रम अधिकारी,बद्धी	तहसील नालागढ,औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला
5. श्रम अधिकारी,नाहन	जिला सिरमौर
6. श्रम अधिकारी,मण्डी	जिला मण्डी
7. श्रम अधिकारी,कुल्लु	जिला कुल्लु,(उप–मण्डल आनी को छोड़कर) उदयपुर तथा केलांग उप–मण्डल
8. श्रम अधिकारी, किन्नौर	जिला किन्नौर,उप मण्डल काजा
9. श्रम अधिकारी,धर्मशाला	जिला कांगडा
10. श्रम अधिकारी,चम्बा	जिला चम्बा
11. श्रम अधिकारी,बिलासपुर	जिला बिलासपुर एंव हमीरपुर
12. श्रम अधिकारी,उना	जिला उना

(ख) कारखाना अधिनियम,1948 के अर्न्तगत प्रदेश को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से दो खण्डों का मुख्यालय शिमला में स्थापित है जबकि तीसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है ।

(ग) रोज़गार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोज़गार कार्यालय तथा 55 उप–रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :–

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय,शिमला	कुमारसैन,मशोबरा,ठियोग,रामपुर–बुशैहर, रोहडू,जुब्बल,सुन्नी,चौपाल,चिड़गांव, डोडराक्वार तथा कुपवी।
2	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय,मण्डी	सुन्दरनगर,जोगिन्द्रनगर,करसोग,सरकाघाट, तथा गोहर।
3	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, धर्मशाला	पालमपुर,ज्वाली,नुरपुर,लम्बागांव,नगरोटा सूरियॉ,बैजनाथ,इन्दौरा,बडोह,देहरा, फतेहपुर एवं डाडासीबा ।
4	विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0	इन कार्यालयों के अधीन कोई कार्यालय नहीं है ।

	विश्वपिद्यालय, शिमला एंव पालमपुर	
5	जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा एंव सलूणी स्थित सुन्डला ।
6	जिला रोज़गार कार्यालय, हमीरपुर	नदौन,भौरंज, बडसर एवं सुजानपुर।
7	जिला रोज़गार कार्यालय, बिलासपुर	घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी
8	जिला रोज़गार कार्यालय,कुल्लु	बंजार एवं आनी
9	जिला रोज़गार कार्यालय,सोलन	नालागढ,अर्की एवं कसौली
10	जिला रोज़गार कार्यालय,सिरमौर स्थित नाहन	पांवटा–साहिब,राजगढ़,शिलाई,संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ
11	जिला रोज़गार कार्यालय,लाहौल स्पिति स्थित केलॉग	काज़ा एवं उदयपुर
12	जिला रोज़गार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पीओ	पूह एवं निचार
13	जिला रोज़गार कार्यालय,ऊना	अम्ब

3. वर्ष 2009–2010 में श्रम एवं रोजगार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/ नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरणः

सेवानिवृत्तियों का ब्यौराः

कमांक	सेवानिवृत कर्मचारी की संख्या	पद/ श्रेणी
1.	1	प्रथम श्रेणी
2.	2	द्वितीय श्रेणी
3.	4	तृतीय श्रेणी
4.	2	चतुर्थ श्रेणी

सरकार की अनुमति से हुई नई नियुक्तियों का ब्यौराः

कमांक	नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की संख्या	पद/ श्रेणी
1.	1	श्रम निरीक्षक
2.	6	कर्लक एंव डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
3.	2	लिपिक प्रतिनियुक्ति के आधार पर

पदोन्नत्तियों का ब्यौराः

क्रमांक	पदोनत्तियों की संख्या	पद/श्रेणी
1.	3	रोज़गार अधिकारी
2.	1	श्रम अधिकारी
3.	1	श्रम निरीक्षक
4.	1	कनिष्ठ आशुलिपिक

सुनिश्चित प्रगतिशील जीविका योजना का ब्यौराः

क्रमांक	प्रवीणता वेतन वृद्धियों की संख्या	श्रेणी
1.	17	तृतीय श्रेणी
2.	11	चतुर्थ श्रेणी

दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से नियमित किये गयेः– 2
अंशकालीन कर्मचारी से दैनिक वेतन भेगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाये गयेः– 22

4.श्रम एवं रोज़गार विभाग में सृजित एवं भरे हुये पदों का ब्यौराः

श्रम एवं रोज़गार विभाग में कुल 421 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 118 पद रिक्त है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार (भा॰प्र॰से॰)	1	—
2	पीठासीन अधिकारी	2	—
3	संयुक्त श्रमायुक्त	1	—
4	उप श्रमायुक्त	1	—
5	उप निदेशक रोज़गार	1	—
6	सहायक निदेशक कारखाना	3	1(कैमिकल)
7	श्रम अधिकारी	12	—
8	विधि अधिकारी	1	1
9	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	—
10	श्रम निरीक्षक	33	9
11	चालक	5	—
12	क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी	8	8
13	जिला रोज़गार अधिकारी	10	—
14	रोज़गार अधिकारी	12	—
15	अधीक्षक ग्रेड—1	1	—
16	अधीक्षक ग्रेड—11	12	2
17	निजि सहायक	1	—
18	सांख्यकीय सहायक	14	5
19	वरिष्ठ सहायक	62	8
20	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	—
21	आशुटंकक	4	2
22	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	128	58
23	दफ्तरी	4	1
24	कम्पयूटर औप्रेटर	1	—
25	चौकीदार	12	4
26	चपड़ासी	83	16
27	सफाई कर्मचारी	5	3
28	फ़ाश	1	—
	जोड़	421	118

अध्याय–3:

श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों को सुविधा के लिये दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोज़गार खण्ड में इस खण्ड की गतिविधियां हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

श्रम खण्ड

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य 28 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों को प्रदेश में लागू करना है । औद्योगिक शान्ति बनाये रखना, मालिकों एवं कामगारों के बीच औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए उचित परामर्श देने की भूमिका निभाना है। इसके अतिरिक्त श्रम खण्ड का मुख्य कार्य संस्थानों में न्यूनतम मजदूरी को लागू करना भी है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में श्रम खण्ड का कारखाना–शाखा, कारखानों में दुर्घटनायें रोकने ओर सुरक्षा उपायों को लागू करने बारे भी आवश्यक भूमिका निभाता है तथा कारखाना शाखा द्वारा कारखाना अधिनियम,1948/नियमों के अर्न्तगत कारखानों का पंजीकरण एंव नवींकरण भी किया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या वर्तमान में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुकी है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा

निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी ;परियोजनाद्ध रामपुर बुशैहर और श्रम अधिकारी बद्दी को भी अपने–अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं वहां पर जिला रोज़गार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक के भी बतौर समझौता अधिकारी औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप–श्रमायुक्त /संयुक्त –श्रमायुक्त और श्रमायुक्त विवादों को निपटाने में हस्ताक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्यौगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 3 के अर्न्तगत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार हों ऐसी संस्थानों द्वारा वर्कस कमेटी का गठन अनिवार्य किया गया है। ये वर्कस कमेटियॉं भी औद्योगिक शान्ति बनाने में काफी सहायक सिद्ध होती है। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं । सामान्यतः वर्ष 2009–2010 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है ।

31.3.2010 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम,1948	3853	233894
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम,1961	112	7437
3.	ट्रेड यूनियनज अधिनियम,1926	1161	2378
4	प्लान्टेशन अधिनियम,1951	17	321
5	बोनस भुगतान अधिनियम,1965	198	20985
6.	अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम,1979 (क)प्रमुख नियोक्ता	102	9051
	(ख)ठेकेदार	122	4047
7.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 (क)प्रमुख नियोक्ता	1164	147865
	(ख)ठेकेदार	5782	160031
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना)1948	2580	211869
9	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952	6542	307551

सांख्यकीय रचनायें

श्रम खण्ड की 31.3.2010 तक की उपलब्धियों/कार्यो का ब्यौरा नीचे दी गई तालिकों पर वार्णित है। विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों की उल्लघंना पाये जाने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान दायर किये गये जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

तालिका–1

कमांक	अधिनियम का नाम	1.4.2009 से 31.3.2010 तक किये गये निरीक्षण की संख्या	न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि
1	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	5614	1025	864	482950
2	वेतन भुगतान अधिनियम,1936	2839	81	104	224650
3	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	3043	96	131	86000
4	कारखाना अधिनियम,1948	1441	38	43	391000
5	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज़ अधिनियम,1961	24	6	2	800
6	श्रम ठेका(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970	847	56	95	100400
7	समान वेतन अधिनियम,1976	161	1	1	10000
8	उपादान भुगतान अधिनियम,1972				

		488	3	4	35000
9	बोनस भुगतान अधिनियम,1965				
		479	1	1	500
10	प्रसूति लाभ अधिनियम,1961				
		132	2	2	3000
11	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान(राष्ट्रीय आक्स्मिक एवं बीमारी अवकाश) अधिनियम,1969				
		679	1	6	700
12	अर्न्तराज्य प्रवासी सेवा कर्मकार अधिनियम,1979				
		98	19	12	10500
13	बाल श्रमिक (निषेद्ध) अधिनियम,1986				
		2187	0	0	0
14	औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946				
		107	0	0	0
15	भवन एंव अन्य सनिर्माण कामगार अधिनियम,1996				
		170	3	0	0
16	प्लॉनटेशन श्रम अधिनियम,1951				
		5	0	0	0
	कुल	18314	1332	1265	1345500

तालिका–2

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2010 तक पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या	कामगारों की संख्या	31.3.2010 तक लाईसैन्स प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	कामगारों की संख्या
1	श्रम ठेका(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970				
		1164	147865	5782	160031
2	अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार (रोजगार) विनियम एवं सेवा शर्ते अधिनियम,1979				
		102	9051	122	4047

तालिका–3

क्रमांक	पिछले अनिर्णित मामले	31.3.09 तक प्राप्त मामले	कुल मामलों की संख्या (खाना संख्या 3 एंव 4)	31.3.10 तक निर्णित मामलों की संख्या	31.3.2010 को अनिर्णित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनकी ऐपीलेंट आथोरिटी के पास अपील
डपादान अदायगी अधिनियम,1972						
1. 2.	3.	4.	5..	6.	7.	8.
(i) Controling authorities द्वारा निपटाये गये मामलों का ब्शैरा	64	87	151	52	6	3
(ii) एपीलैन्ट अथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्यौरा	4	12	16	2	14	ऐपीलैन्ट अथेरिटी द्वारा 2 अपीलों का निपटारा किया गया जिसमें 323924 रू0 का भुगतान करने के आदेश सम्बन्धित नियोक्ताओं/ नियोजकों को दिया गया।

तालिका–4

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

क्रमांक	31.3.2009 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1.4.2009 से 31.3.2010 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	कुल मांग पत्रों की संख्या(खाना संख्या 3 व 4)	समझोते के दौरान धारा 12(3)के तहत निपटाये गये	असफल मामलों की संख्या जो 12(4) के अधीन भेजे गये	31 मार्च 2009 को लम्बित मांग पत्र	उद्योगों की संख्या	कामगारों की संख्या
1. अधिनियम का नाम औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947	849	1882	2731	540	778	1413	566	4590

तालिका–5

1	अधिनियम का नाम औद्योगिक रोजगार(स्टैंडिंग आर्रडर्ज़) अधिनियम,1946	अधिनियम के तहत आने वाले संस्थानों में से स्टैंडिंग आर्रडर्ज़ जिन्हें प्रमाणित करवा लिया गया
	1494	236

तालिका–6

दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969

अधिनियम का नाम	31.3.2010 के अन्त में दुकानों की संख्या	कामगारों की संख्या	31.3.10 के अन्त में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या	कुल संस्थानों की संख्या	कुल कामगारों की संख्या
दुकान एंव वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	51281	18854	10864	17937	62155	36791

तालिका–7

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2009 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1.4.2009 से 31.3.2010 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल शिकायतें	श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा दिलाई गई धनराशि	सम्बन्धित कामगारों की संख्या	31.3.2009 को अनिर्णत मामलों की संख्या
1	वेतन भुगतान अधिनियम,1936	271	810	1081	788	10412295	1289	293
2	थ्ह0प्र० दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	5	18	23	14	42574	16	9
3.	हि०प्र०लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	38	68	106	71	1346495	269	35
4	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	5	6	11	10	167767	22	1

तालिका–8

कारखाना अधिनियम,1948 के अन्तर्गत दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 तक किये गये कार्य का विवरण

31.3.2009 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	1.4.2009 से 31.3.2010 तक पंजीकृत नये कारखानों की संख्या	31.3.2010 को कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या	31.3.2010 तक कुल पंजीकृत कारखानों में कामगारों की संख्या	1.4.2009 से 31.3.2010 तक पंजीकरण प्रमाण पत्रों के नवीकरण की संख्या
3493	360	3853	233894	1876

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के तहत निदेशालय स्तर पर 31.3.2009 को 612 विवाद लम्बित थे। वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान 708 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12 (4) के अर्न्तगत निदेशालय में प्राप्त हुये, अतः कुल विवाद 1320 हो गये। इस वित्त वर्ष के दौरान 423 मामले विभिन्न श्रम न्यायलयों को निर्णय हेतू भेजे गये तथा उक्त अधिनियम की धारा 12(5) के तहत 599 विवाद निरस्त किये गये, तथा 31.3.2010 को 298 मामले शेष बचे।

उपादान अधिनियम,1972 के अर्न्तगत अपील का निपटारा

वित्त वर्ष 2009–10 (1.4.2009 से 31.3.2010 तक) के दौरान 2 अपील केसों का निर्णय/निपटारा किया गया। जिसके अर्न्तगत रू0 3,23,924 (तीन लाख तेईस हजार नौ सौ चौबीस) की उपादान राशि का भुगतान करने के आदेश सम्बन्धित नियोक्ताओं/प्रबन्धकों को किए गए। वर्ष के अन्त तक 14 मामले लम्बित रहे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भिन्न–भिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये निम्नलिखित बोर्ड और समितियों का समय–समय पर गठन किया जाता है।

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड/ समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/ निर्धारण बारे सरकार को परामर्श देना
2	समान परिश्रमिक	सलाहकार	स्त्रियों को रोजगार

	अधिनियम,1976	समिति	अवसरों तथा लिंग के आधार पर वेतन विसंगतियों को दूर करने बारे सरकार को परामर्श देना
3	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्वति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, व जहां रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनयम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सरकार को देना
4	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970	राज्य ठेका सलाहकार समिति	समिति द्वारा ठेका उन्मूलन बारे जांच पड़ताल करना तथा इस सम्बन्ध में ठेका सलाहकार बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना।
5	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	क्षेत्रीय बोर्ड ई• एस• आई•	कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य/ पैन्शन योजनाओं को प्रदेश में कार्यन्वयन एवं विस्तार सम्बन्धि कार्य करना । क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड का गठन हिमाचल प्रदेश में ई• एस• आई• स्कीम को सही रूप से लागू करने के उद्वेश्य से किया गया है ताकि कामगारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
	(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम(योजना)1948	स्थानीय समितियॉ	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सुचारू रूप में संचालन तथा कार्यन्यवन

			एवं विस्तार सम्बन्धित कार्य करना।
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952	क्षेत्रीय समिति ई० पी० एफ० हिमाचल प्रदेश	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का सुचारू रूप सें संचालन तथा कार्यन्यवन एवं विस्तार करने के लिये कार्यवाही करना ।
7	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	क्षेत्रीय सलाहकार समिति	कामगारो को शिक्षा देने बारे ।
8	बन्धुआ मजदूर(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1976	राज्य स्तरीय पड़ताल समिति(बन्धुआ मजदूरी)	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन /पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही ।
9.	बन्धुआ मजदूर(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सर्तकता समितियॉ	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन/पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही ।
10	कारखाना अधिनियम,1948	स्थल मूल्यांकन समिति	कारखाना अधिनियम,1948 की प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए उद्योगों की स्थापना से पहले उनके स्थल बारे प्रदेश सरकार को संस्तुती करना।

परियोजनाओं में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये गठित बोर्ड/समितियाँ

(क) राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय बोर्ड	औद्योगिक शान्ति को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्धकों व कामगारों में समन्वय स्थापित करना।
(ख) परियोजना स्तर पर त्रिपक्षीय समितियों का परियोजनाओं के लिये गठन	उक्त समिति विभिन्न परियोजनाओं के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देगी तथा परियोजनाओं के नियन्त्रण पर नजर रखेगी तथा इनकों पूरा करवाना सुनिश्चित करेगी ।
(ग) त्रिपक्षीय राज्य स्तरीय समिति	श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों/ विवरणियों के सरलीकरण तथा कमी की जाने बारे ।

1. न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुर्ननिर्धारण,न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अर्न्तगत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन करती रही है। इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात समस्त अनुसूचित व्यवसायों मे अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर 110/–रू॰ प्रतिदिन या रू0 3300/– प्रतिमाह प्रथम फरवरी,2010 से निर्धारित किया है जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से 10 प्रतिशत अधिक है। अर्ध कुशल,

कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों के वेतन में भी (समान अनुपात) से बढ़ोतरी की गई है जो कि दिनांक 1.2.2010 से लागू होगी, जिन अनूसूचित व्यवसायों में बढ़ोतरी की गई है वे होगी वे निम्न प्रकार से हैं:–

1. कृषि
2. सड़क तथा भवन निर्माण पत्थर पिसाई कशिंग/पत्थर तुड़ान
3. फौरेस्टरी एवं टिम्बरिंग आप्रेशन
4. पब्लिक मोटर ट्रासंपोर्ट
5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
6. कैमिकल्ज तथा कैमिक्ल्ज प्रोडक्शन
7. इंजिनियरिंग उद्योग
8. चाय बागान
9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम,1948 की धारा–2 के खण्ड(क)में परिभाषित
10. होटल/रेस्तरा
11. निजि शैक्षणिक संस्थान

कृषि व्यवसाय में कार्यरत अकुशल कामगारों के न्यूनतम वेतन को रू0 100 प्रतिदिन से बढ़ाकर 110 प्रतिदिन कर दिया गया है, जो कि दिनांकः 1.3.2009 से लागू है।

इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्य करने वाले मजदूरों के लिये उक्त दरों के उपर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय होगी।

जन–जातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को उक्त दरों के उपर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय होगी। इन क्षेत्रों में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी देय होगी।

जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त बढोतरी देय होगी।

महिला और पुरूष कामगारों को समान कार्य के लिये (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है।

कृषि व्यवसाय में कार्यरत अकुशल कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोज़गार अधिकारियों को "निरीक्षक" नियुक्त किया है तथा अपने–अपने क्षेत्रों में सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) को इस अधिनियम के अर्न्तगत प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावा का निपटारा कर सकें ।

<u>बन्धुआ मजदूरों पुर्नवास के लिये योजना बनाना</u>

बन्धुआ मजदुरों के पुर्नवास के लिये योजना गनाई गई है। बन्धुआ मजदूर अधिनियम,1976 की धारा 13 के अर्न्तगत सभी जिला तथा उन–मण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूर से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने के लिये सर्तकता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है। बन्धुआ मजदूरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जॉच करवाई गई लेकिन ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जो बन्धुआ मजदूर की परिभाषा में आता हो।

बाल श्रमिकों का अन्मूलन कार्यकम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के अन्मूलन के लिये प्रदेश के 17 अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल श्रमिक अधिनियम,1986 के अर्न्तगत निरीक्षक की शक्तियॉ प्रदान की गई हैं, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1.	समस्त उप–मण्डल अधिकारी, हि0प्र0	राजस्व
2.	समस्त आयुक्त, नगर निगम, शिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि0प्र0	आर.डी व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, हि0प्र0	राजस्व
5.	समस्त महा–प्रबन्धक/ प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि0प्र0	उद्योग
6.	समस्त श्रम अधिकारी,हि0प्र0	श्रम एंव रोजगार
7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी,हि0प्र0	–उक्त–
8.	समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत हि0प्र0	स्थानीय निकाय
9.	समस्त हैड कॉस्टेबल एंव उससे उपर के पुलिस अधिकारी,हि0प्र0	पुलिस
10.	समस्त जिला/तहसील कल्याण अधिकारी,हि0प्र0	समाजिक न्याय एंव अधिकारिता
11.	समस्त जिला प्रोग्राम अधिकारी,हि0प्र0	–उक्त–
12.	सम्स्त बाल विकास एंव प्रोजैक्ट अधिकारी,हि0प्र0	–उक्त–
13.	समस्त पंचायत निरीक्षक,हि0प्र0	आर.डी व पंचायती राज
14.	समस्त जिला/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी,हि0प्र0	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला/सहायक खाद्य एंव आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एंव तोल निरीक्षक, हि0प्र0	माप एंव तोल
18.	समस्त ए.ई.टी.एस./ई.टी.ओस. निरीक्षक, हि0प्र0	टाबकारी एंव कराधान

भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रेगूलेशन ऑफ एम्पलायमैन्ट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) एक्ट,1996.

भवन व अन्य निर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार ने राज्य में भवन एंव अन्य निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम,1996 के अर्न्तगत हि0प्र0 भवन एंव अन्य निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक 4.12.2008 को अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा–18 के अर्न्तगत भवन एंव अन्य निर्माण कार्य में लगे कामगारों के कल्याण हेतू हि0 प्र0 भवन एंव अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 5.3.2009 को कर लिया गया है। यह बोर्ड निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को वृद्धावस्था पैंशन, आवास हेतू वित्तीय लाभ, मातृत्व लाभ, बच्चों की शिक्षा हेतू प्रोत्साहन आदि कल्याण योजनाओं के रूप में समाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड अन्य तरह की कल्याण सम्बन्धी योजनायें समय–समय पर लागू कर सकता है।

प्रदेश में इस अधिनियम के लागू होने से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के एक बहुत बड़े समूह को कल्याण योजनाओं के रूप में समाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी और इससे प्रदेश का कार्य सक्षम होगा क्योंकि बहुत अधिक संख्या में निर्माण मजदूर जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य निर्माण गतिधियों में कार्यरत है।

कामगारों को पहचान–पत्र प्रदान करना:

श्रम विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी औद्योगिक ईकाईयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों तथा ठेका श्रमिकों को कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक कामगारों को पहचान–पत्र जारी कर रहे हैं। जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा दिनांक 31.3.2010 तक कुल 2,21,796 पहचान–पत्र जारी किये जा चुके हैं। इनमें से इस वित्तिय वर्ष 1.4.2009 से 31.3.2010 तक 32,938 कामगारों को पहचान–पत्र जारी किये गये हैं। पहचान पत्रों को प्रदान करने के लिये हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्यौगिक रोजगार (स्थाई आदेश) नियम में संशेधन किया गया है जिससे कामगारों को पहचान पत्र जारी करने के लिये कानूनी प्रावधान है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम,1948

यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निःशुल्क चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तथा बिजली का प्रयोग हो, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शैडों में लागू नहीं होता । जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 10,000/– रूपये से अधिक है वह इसके अर्न्तगत नहीं आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के योगदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है। यह योजना जिला

सोलनः– (1) सोलन (2) बरोटीवाला (3) बद्दी (4) परवाणु (5) नालागढ़, जिला सिरमौरः– (1) पांवटा साहिब (2) काला अम्ब, जिला उनाः–(1) मैहतपुर (2) बाथरी (3) गगरेट तथा जिला शिमलाः–(1) शिमला नगर निगम क्षेत्र एंव शोघी औद्योगिक क्षेत्र,में जिला मण्डी के औद्यौगिक क्षेत्र (1) मण्डी (2) रती (3) नेर चौक (4) भंगरोटू (5) चक्कर (6) गुटकर तथा जिला बिलासपुर के गोलथाई औद्यौगिक क्षेत्र में लागू है।श्रमिकों के लिये मैहतपुर, बरोटीवाला, सोलन जाबली, नालागढ़, बद्दी, शिमला, पांवटा–साहिब, काला–अम्ब में डिस्पैन्सरियों के अतिरिक्त परवाणु में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय निदेशक ई0एस0आई0 कारपोरेशन का कार्यालय परवाणु में (ई0एस0आई कौम्पलैक्स) में स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के बद्दी मं ESI Corporation का Super Specility Hospital जिला मण्डी में नेरचौक स्थान पर ESI Corporation का Super Special Hospital & Medical Collage का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952

कर्मचारी भविष्य निधि एंव विविध प्रावधान अधिनियम,1952 के अर्न्तगत कारखानों तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है। इस समय इस योजना के अर्न्तगत 6542 संस्थानों में 3,07,551 कर्मचारियों को लाया जा चुका है ।

कामगारों के लिये शिक्षा योजना

संचालित कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है । कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त इसके अध्यक्ष हैं।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अर्न्तगत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण स्थापित किये है। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिती का काजा उप–मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण धर्मशाला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी,कुल्लु तथा लाहौल स्पिति का लाहौल भाग शामिल है। इन न्यायालयों में औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद के बराबर के एक एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं:–

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2
2.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2
3.	स्टैनो टाईपिस्ट	2
4.	वरिष्ठ सहायक–एंव–रीडर	4
5.	अहलमद	2
6.	चालक	2
7.	दफतरी	1
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4
9.	स्वीपर–कम–चौकीदार	1

इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अधीन भुगतान दावे बारे आवेदन पत्र सीधे तौर से श्रम न्यायालयों को दिये जा सकते हैं।

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के तहत की गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को श्रम विभाग इन न्यायालयों/न्याय अधिकरणों को भेजता है। इसके अतिरिक्त, कामगार अवार्ड,समझौता और भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र सीधेतौर पर दाखिल किये जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक अधिकरण की शक्तियां दी गई हैं जबकि अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्याय अधिकरण अलग–अलग हैं। श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्याय अधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अर्न्तगकत भी दवों से सम्बन्धित कार्य कर रहे हैं।

उपरोक्त न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर प्रदेश के मजदूरों के दावों

की सुनवाई करके न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि मजदूर दूर–दराज के क्षेत्रों में अपने मुकदमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके। ये न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं ।

1.4.2009 से 31.3.2010 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1	1.4.2009 को लम्बित मामले	1670	213	1883
2	1.4.2009 से 31.3.2010 तक प्राप्त मामले	399	194	593
3	1.4.2009 से 31.3.2010 को कुल मामले	2069	407	2476
4	1.4.2009 से 31.3.2010 तक निपटाये गये मामले	649	90	739
5	31.3.2010 को लम्बित मामले	1420	317	1737

अध्याय–4

रोज़गार खण्ड

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय,9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 55 उप रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं। ये रोज़गार कार्यालय

अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'फौरन इम्पलायमैंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो' का निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में गठन किया है ताकि विदेश जाने के इच्छुक कामगारों का प्राईवेट एजेन्टों से होने वाले शोषण से उन्हें बचाया जा सके।

1.4.2009 से 31.3.2010 तक जिलावार रोज़गार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र•स•	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियॉ	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन		स्जीव पंजीका (पंजीकृत आवेदकों की संख्या)	नियोजित आवेदक
					सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र		
1	बिलासपुर	8899	85	8374	186	51	51648	243
2	चम्बा	6787	102	8359	95	194	56630	464
3.	हमीरपुर	12458	5	2670	79	687	68323	6894
4	कांगड़ा	28554	335	8615	324	446	181415	14450
5	किन्नौर	1967	482	1036	8	63	8710	688
6	कुल्लू	6445	287	2097	0	0	45955	1628
7	लाहौल स्पिति	860	31	37	8	0	4221	49
8	मण्डी	25941	90	13612	86	495	144091	2671
9	शिमला	11757	613	6613	118	108	105127	9834
10	सिरमौर	7435	604	2670	27	44	47965	180
11	सोलन	8759	906	11416	73	395	53534	1798
12	ऊना	10618	695	12676	143	450	59710	3500
	जोड़	130480	4235	78175	1147	2933	827329	42399

नोटः— उप—रोज़गार कार्यालय पांगी के ऑकड़े उक्त सूचना में सम्मिलित नहीं किये गये हैं (दिनांक 31—7—2009 तक संजीव पंजीका पर उप—रोजगार कार्यालय के आकड़े 3952 हैं) नियुक्त आवेदकों का ब्यौरा रोज़गार कार्यालयों से दिनांक 1—11—2008 तक का एकत्रित किया गया है।

शिक्षावार विभाजन

स्नातकोत्तर	55570
स्नातक	113110
दसवीं व उपर स्नातक से कम	568205
दसवीं से कम पढे लिखे	85969
अनपढ़	4475
कुल योग	827329

जाति वार विभाजन

अनुसूचित जाति	170408
अनुसूचित जन जाति	35757
ओ॰बी॰सी॰	62664
अन्य	558500
कुल योग	827329

स्त्री/ पुरूष विभाजन

पुरूष	536579
स्त्री	290750
जोड़	827329

शहरी ग्रामीण विभाजन

शहरी	705830
ग्रामीण	121499
जोड़	827329

श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में स्थापित विशेष रोज़गार कार्यालय(अंपगों हेतु), द्वारा वर्ष 2009–10 में किये गये कार्यकलापों का विवरणः

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी(स्थापना) के अधीन वर्ष,1976 में विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है।

समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाऐं/ रियायतें दी गई है जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, उपरी आयु–सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की (हाथ तथा बाजु) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट है तथा आरक्षण निम्न प्रकार से हैः–

कमांक	आरक्षण की श्रेणी	प्रतिशत
1.	तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण	3 प्रतिशत
2.	महिलाओं के लिये खोले गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व सिलाई कटाई केन्द्रों में आरक्षण	5 प्रतिशत

आरक्षित रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अपंग तथा उनके अनुरक्षकों को यात्रा–भत्ता देने का प्रावधान है।

व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं है, अधिनियम,1995 के तहत नियोक्ताओं के अभिलेख, रोस्टर प्वाईट को चैक करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विशेष रोज़गार कार्यालय (अंपगों हेतु), द्वारा वर्ष 2009–10 में किये गये कार्यकलापों का विवरणः

क0सं0	पंजीकरण	आरक्षित रिक्तियों की अधिसूचना	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन	सजीव पंजीका
1	1847	44	42	28	15980

व्यावसायिक मार्गदर्शन संगठन तथा रोजगार परामर्शः

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अधीन इस समय चार व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र है तथा शेष तीन केन्द्र, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित हैं । इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोज़गार के सन्दर्भ में आवेदकों का पंजीकरण व उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्याःश्रम (एम्प) 16/6/93–1, दिनांकः31–1–2006 द्वारा जिला स्तर पर सूचना एंव मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना उपायुक्त की अध्यक्षता में की है जिसका कार्य आवेदकों को राज्य के सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार व स्व–रोज़गार सहायता प्रदान करना है। प्रदेश के प्रतिष्ठानों व शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

1.4.2009 से 31.3.2010 तक इन व्यावसायिक केन्द्रों तथा अधीनस्थ रोज़गार कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गयेः–

1	जिन व्यक्तियों ने पंजीकरण के समय व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया।	1,30,480
2	प्रतिष्ठानों, रोजगार कार्यालयों, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में जितने मार्गदर्शन कैंम्प किये गये।	125
3	जितने व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रुप से सूचना प्राप्त की।	1,30,480
4	चालू रजिस्टर में जितने पुराने केसों का पुर्नवालोकन किया।	6,712
5	जितने व्यक्ति व्यावसायिक सूचनाकक्ष में आये।	25,542

केन्द्रीय रोज़गार कक्ष की गतिविधियॉं:

केन्द्रीय रोज़गार कक्ष वर्ष 2009–10 में ऑनलाईन जॉब पोर्टल के माध्यम से निजि क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध करवाने का कार्य करता रहा है। कक्ष को अधिसूचित रिक्त्यिों, तथा कक्ष द्वारा किये गये सम्प्रेषण कार्य तथा चयनित आवेदकों का ब्यौरा निम्न वर्णित है। चयनित आवेदकों की संख्या मुख्यतः जिन कारणों से कम है निजि क्षेत्र में अनुभवी आवेदकों की मांग, स्टील, चमड़ा तथा कागज़ इत्यादि उद्वोगों हेतु योग्य आवेदकों की कक्ष की जीवित पंजीका में कमी। केन्द्रीय रोजगार कक्ष के वर्ष 2009–10 के कार्यकलापों का लेखा जोखा निम्न प्रकार से है :–

क्र0 संख्या	रिक्तियों की अधिसूचना	आवेदकों का सम्प्रेषण	सेवा नियोजन
1.	359	4881	1

इसके अतिरिक्त राज्य के दूर–दराज़ इलाकों में स्थित रोज़गार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू करवाये गये ताकि निजि क्षेत्र में अकुशल कामगारों की मांग को पूरा किया जा सके।

र्ष	कैम्पस इन्टरव्यू	च्यनित आवेदक
2009–10	80	651

राज्य में स्थापित उद्योगों तथा जल–विद्युत परियोजनाओं में हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोज़गार की मॉनिटरिंगः

विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों के आधार पर 49 उद्योगों तथा 11 जल–चिद्युत परियोजनाओं, जिनमें 70 प्रतिशत से कम हिमाचली रोज़गार में पाये गये, की रिरपोर्ट उद्योग विभाग तथा सचिव (एम.पी.पी.एवं पावर) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई। इसके अतिरिक्त 29 उद्योगों

में रोज़गार की स्थिति की निरीक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय सिंगल विडो मॉनिटरिंग तथा क्लीयरैस अथेरिटी को भेजी गई।

फौरन इम्पलौयमैन्ट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो:

हिमाचल प्रदेश के विशेषकर कुशल, अर्ध–कुशल, एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त इच्छुक प्रार्थियों को विदेश में रोजगार के अवसर जुटाने के दृष्टिगत तथा उन्हे पासपोर्ट, वीज़ा एवं उत्प्रवासी अधिनियम व विनियम के बारे जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार विभाग में वर्ष,1994 में 'फौरन इम्पलौयमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो' की स्थापना की गई है। यह ब्यूरो उत्प्रवासी अधिनियम के अर्न्तगत महासंरक्षी उत्त्प्रवासी, श्रम उंव रोज़गार मन्त्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली, द्वारा जनशक्ति निर्यात किए जाने के उद्देश्य हेतु पंजीकृत है। इसमें 1731 उम्मीदवारों के नाम पंजीकृत हैं ।

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत रोज़गार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की रोज़गार से सम्बन्धित सूचना नियमित रुप से एकत्रित करते हैं। रोज़गार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश में जिला स्तर पर रोज़गार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र को ही व्यक्त करता है। जो कि अन्य बातों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजि क्षेत्रों के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10

या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं,उनसे यह सूचना एकत्रित की जाती है। रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 25 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और जो कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हो, से ऑकड़े रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अर्न्तगत नियम, 1960 के अर्न्तगत एकत्रित किए जाते हैं। रोज़गार के ऑकड़े निजी क्षेत्र के छोटे प्रतिष्ठानों जिनके पास 10 से 24 कर्मचारी कार्यरत हैं, से स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित किये जाते हैं।इस विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है, कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी क्षेत्र की ईकाइयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो। रोज़गार कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र की विशेषकर नई ईकाइयों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है, व उन्हें रोज़गार कार्यालयं (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अर्न्तगत अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के लगभग 206 निरीक्षण किए गए हैं।

2. वित्त वर्ष 2009–2010 मैं विभाग द्वारा रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अर्न्तगत नियाम,1960 के अर्न्तगत अधिसूचना संख्या एल0 एण्ड ई0 (ई0एम0आई0) इन्सपैक्शन–05, दिनांक 16–5–2007 द्वारा सभी वरिष्ठ सहायकों को जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित उप–रोज़गार कार्यालयों में कार्यरत हैं एंव अधिसूचना संख्या एल0 एण्ड ई0 (ई0एम0आई0) इन्सपैक्शन–05, दिनांक 16–11–2007 द्वारा संयुक्त–श्रमायुक्त, उप–श्रमायुक्त, सहायक निदेशक कारखाना, सभी श्रम अधिकारियों एंव श्रम निरीक्षकों को शक्तियॉ प्रदान की गई हैं।

3. रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यकम के अर्न्तगत रोजगार की स्थिति का विश्लेषण विभाग द्वारा समय–समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिष्ठानों की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	साार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त मार्च/08	3839	1161	260588	104525
त्रैमासान्त मार्च/09	3806	1217	157837	114481

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त मार्च 2009 में प्रतिष्ठानों की संख्या एंव अनुमानित रोज़गार :–

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध–सरकारी केन्द्रीय		अर्ध–सरकारी राज्य		स्थानीय निकाय	
	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार
मार्च / 08	141	14946	2467	177946	634	16995	545	46643	52	4,059
मार्च / 09	137	14172	2493	178942	639	17196	479	3957	58	3957

निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च, 2009 में प्रतिष्ठानों की संख्या व अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान		लघु संस्थान	
	25 या अधिक कर्मचारी वाले		10 से 24 कर्मचारियों वाले	
	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार
त्रैमासान्त मार्च / 08	772	98665	389	5860
त्रैमासान्त मार्च / 09	821	108339	396	6142

सार्वजनिक एंव निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च, 2009 में औद्यौगिक वर्गीकरण में संस्थानों की संख्या एंव अनुमानित रोजगारः–

त्रैमासान्त जून,2007					
		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
		प्रति0 संख्या	अनु0 रोजगार	प्रति0 संख्या	अनु0 रोजगार
1.	कृषि एंव पशु व्यवसाय	137	16795	8	377
2.	मतस्य शिकार	10	300	.	.
3.	खनिज एंव खाद्य	04	63	.	.
4.	उत्पादन	50	2362	822	81613
5.	विद्युत गैस एंव जल	166	35953	27	15513
6.	निर्माण	152	44053	21	2975
7.	थोक एंव परचून व्यापार	26	1007	34	1049
8.	होटल एंव रेस्तरां	15	828	73	2481
9.	यातायात, संचार एंव भण्डार	53	17183	13	509
10.	वित्तिय बीमा	763	10366	08	150
11.	रियल इस्टेट	59	2580	04	311
12.	स्माजिक एंव व्यक्तिगत सेवायें	637	40947	01	32
13.	शिक्षा	1499	65121	185	8538
14.	स्वास्थ्य एंव सम्बन्धित कार्य	186	19372	14	631
15.	अन्य समाजिक एंव व्यक्तिगत सेवायें	49	907	07	301
	कुल	3806	257837	1217	114481

नोटः– उपरोक्त सूचना में जिला लाहौल–स्पिती के आंकड़े सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अर्न्तगत बनाये जा रहे भवनों का विवरणः

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन 109 कार्यालय कार्यरत हैं।

(क) विभागीय 20 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैंः

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण शिमला तथा धर्मशाला क्षे़त्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी, जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा,नाहन तथा किन्नौर,श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी,बद्दी तथा रामपुर बुशैहर,श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुशैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ, बद्दी, नाहन तथा पांवटा साहिब एवं उप रोज़गार कार्यालय रामपुर बुशैहर, नालागढ, भरमौर, व चिड़गांव।

(ख)विभागीय 32 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैः

श्रम एवं रोज़गार निदेशालय शिमला, सहायक निदेशक कारखाना शिमला,सहायक निदेशक कारखाना ऊना, क्षेत्रीय रोज़ग़ार कार्यालय धर्मशाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, कुल्लू श्रम अधिकारी कार्यालय धर्मशाला, बिलासपुर,कुल्लू एंव श्रम निरीक्षक कार्यालय, धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लु,अम्ब, सुन्दरनगर तथा उप–रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, गोहर, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा एवं राजगढ़।

(ग) विभागीय 7 कार्यालय जो निर्माणाधीन हैंः

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थित कार्यालयों के लिए विभाग द्वारा विभागीय भवन बनवाने का कार्य आरम्भ किया गया है। इनमें जिला रोज़गार कार्यालय नाहन, श्रम अधिकारी नाहन व कुल्लू एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय नाहन व कुल्लू तथा

उप–रोज़गार कार्यालय उदयपुर व चुवाड़ी के कार्यालय निर्माणाधीन हैं।

शेष कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

कार्यकुशलता बढाने के लिए कम्प्युटराईजेशनः–

विभाग के कार्य निष्पादन में कार्यकुशलता व पारदर्शिता लाने हेतू समस्त रोज़गार कार्यालयों को कम्प्युट्रीकृत किया गया है। श्रम व कारखाना खण्डों के कार्यालयों को भी कम्प्युट्रीकृत किया गया है।

केन्द्रीय रोज़गार कक्ष में पंजीकृत आवेदकों के रिकॉर्ड को भी कम्प्युटर पर चढ़ा दिया गया है। विभाग, एन0आई0सी0, शिमला से इस कक्ष हेतू 'जौब पोर्टल' भी विकसित करवा चुका है। अब निजी क्षेत्र के नियोक्ता, कुशल कामगारों को अपनी इच्छानुसार व बिना विलम्ब कक्ष से प्राप्त कर सकते हैं।

4.9. Budget & Actual Expenditure Statement Figures
Demand No:27-Labour,Employment & Training.

S.No.	Head of Account	Sactioned Budget 2009-10		Actual Expenditure during 2009-2010	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour,001-Direction & Administration, 01-Staff at the Hqrs.				
		-	60,73,000	-	68,50,460
2.	01-Labour,101-Industrial Relaltions, 01-Enforcement of Labour Laws.				
		-	1,19,73,000	-	1,53,14,017
3.	01-Labour,101-Industrial Relations, 03-Wage Board/				
		-	33,000	-	30,607
4.	01-Labour,102-Working Conditiions & Safety, 01-Inspectorate of Factories.				
		-	4,13,000	-	2,89,494
5.	01-Labour,103-General Labour Welfare, 01-Education				
		-	1,40,000	-	2,18,205
6.	38,82,928				
		-	31,44,000	-	38,82,928
7.	02-Employment,004-Research ,Survey & Statistics, 01-Collection of EMI				
		-	46,62,000	-	33,06,026
8.	02-Employment,101-Employment Services, 01-Extension Coverage of Employment Services.				
		-	4,24,68,000	-	4,31,36,668
9.	02-Employment,101-Employment Services, 02-Vocational Guidance & Employment Counselling.				
		-	11,07,000	-	17,59,459
10.	02-Employment,101-Employment Services, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.				
		-	2,92,000	-	2,48,119
11.	02-Employment,101-Employment Services, 05-Special Employment Exchanges(Scheduled Castes)				
		-	4,40,000	-	2,91,913
	Total:	-	7,07,46,000	-	6,15,45,286

Centrally Sponsored Schemes (100%)

1.	02-Employment,101-Employment Services, 06-Special Employment Exchanges(Physically Handicapped)				
		-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

Major Works

1.	4250-Capital Outlay on Other Social Services, 00,201-Labour,01-Buildings				
		10,,00,000	-	10,00,000	-
	TOTAL	10,,00,000	-	10,00,000	-

BUDGET & ACTUAL EXPENDITURE STATEMENT RECONSILED FIGURE DEMAND NO-31-TRIBAL DEVELOPMENT

1.	01-Labour, 796-Tribal Area-Sub-Plan,01-Expenditure on inforcement of Labour Laws				
		2,61,000	9,23,000	1,05,035	16,14,687
2	02-Employment,796-Tribal Area Sub Plan, 01-Expenditure on Employmen Services				
		7,00,000	29,34,000	4,96,095	30,16,160
	TOTAL	9,61,000	38,57,000	6,01,130	46,30,847

Right to Information

Government of Himachal Pradesh
Department of Labour & Employment

No.Shram(A)4-2/2005 Dated: Shimla:171001 the 10th April,2007.

Notification

In exercise of the power conferred by clause (b) of Sub section (1) of section 4 of the Right of Information Act,2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the records and other activities of the Labour & Employment Department, as under :-

1.	The particulars of its organisation, functions and duties	The Department of Labour & Employment came into existence in 1972 after segregation from Industries Department. It is mainly responsible for implementation of various Labour Laws (27 Central & 2 State Acts) and for providing employment assistance to job-seekers. The Department has been playing the role of a facilitator and regulator. It comprises of 3 wings- Labour, Factories & Employment. The Labour wing is primarily looking after the welfare, health & safety of the workers in the industrial and commercial establishments. It is also responsible for maintaining industrial peace and harmony between the managements and the workers. The Factory Wing is responsible for approval of Building Plans of factories, issue and renewal of factory licence and inspection of factories to ensure compliance of provisions regarding health, safety and welfare of factory workers. The Employment wing helps the interested job seekers and other persons interested in self employment by way of registration, sponsoring and by providing vocational guidance and career counselling.

2.	The powers and duties of its officers and employees.	Cases which are disposed off at the level of **Secretary (Lab and Emp.) Govt. of HP** i) Establishment matter relating to Lab. & Emp. Deptt/ ii) Lok Sabha/ Rajya Sabha Questions. iii) Court Cases. iv) Budget, Financial matter/ Expenditure sanctions. v) Publication of Awards. **Deputy Secretary** i) All correspondence relating to personnel matters/ financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary. ii) Public representations received in this office are forwarded to the concerned departments for report and appropriate action **Section Officer** i) To supervise all the work relating to personnel/ Budget and public representative etc. ii) To ensure all the Dealing Asstt. and Diarist are maintaining all required registers and keep the same updated. iii) To keep carefully watch on the movements of dak files between section and higher authorities. iv) To ensure timely submission of time bound cases/ Court cases. v) To ensure that all manuals, Rules, inspections, guard files etc. of the section are kept up to date. vi) **Superintendent** i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control. **ii)** To ensure timely submission of all papers according to their priority.

		Sr./Jr. Asstt. i) Opening/ maintaining of files and noting and drafting up to date of various types of data and maintenance of various registers. ii) Establishment matters including R & P Rules, maintenance of Service Books, Service records, leave account, pension cases, disciplinary matters, pay fixation, finalisation of seniority, court cases and other misc. matters. **Clerk** i) Diary and despatch/ movement of files weekly & monthly statements etc. ii) Maintenance of leave account and other misc. work entrusted by the S.O.
3.	The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.	All the cases in the Branch are submitted on file by the concerned Dealing Asstts. Supervised by the Supdt. and submitted to the S.O. He submits it further to the Under Secretary the to the Secretary. Routine matters and informatory references are disposed off at S.O./ Under Secretary level. Financial matters/ expenditure sanctions, decision taking power vests with the Secretary.
4.	The norms set by it for the discharge of its functions.	As stated at Point No. 2 & 3.
5.	The Rules, Regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control.	The various rules & Regulations/ instructions followed are as under:- 1. HPFRs 2. CCS & CCA Rules 3. Conduct Rules, 4. Medical Attendance Rules, 5. Delegation of financial powers. 6. LTC Rules/ GPF Rules/ Pension Rules etc. 7. R & P Rules. 8. Office Manuals.

6.	Statement of the categories of the documents that are held by it or under its controls.	N/A.
7.	The particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof.	N.A.
8.	A statement of the Board, Councils Committee & Other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards/ Councils/ Committee and other Bodies are open to the public or the minutes of such meetings are	N.A.

	accessible for public.	
9.	A directory of its officers and employees.	1. Secretary (Lab & Emp.)- Ph.No.2621876, 2880735 2. Deputy Secretary.- Ph.No.2628499, 2880527 3.Senior Private Secretary/P.A.-Ph.No.2621876, 2880735 4. Section Officer-Ph.No.2880444 5. Superintendent- Ph.No.2880544 7. Sr. Asstts.-Ph.No. -do- 8. Jr. Asstt.-Ph.No.-do- 9. Clerks-Ph.No. -do- 10. Peon. -Ph.No. -do-
10.	The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.	N.A.
11.	The Budget Allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made.	N.A.
12.	The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	N.A.

13.	Particulars of recipients of concessions permits or authorizations granted by it.	N.A.
14.	Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.	N.A.
15.	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained for public use.	N.A.
16.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	This department vide Notification dt. 31.10.05 has already designated the officers of the Lab and Employment Deptt. As Appellate Authority/ Public Information Officer. The said information is also available on the official website of the State Government.
17.	Such other information as may be prescribed.	The list of all the Acts and Rules which are pertaining to the L & E Deptt. is available on the Website of the Deptt.

BY ORDER

Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of HP

Endst. No. Shram(A)4-2/2005 dated Shimla-2 the 10th April,2007

Copy to: -

1. The Principal Secretary (AR) to the Govt. of HP Shimla-2.
2. All the Admn. Secretaries, H.P. Shimnla-2.
3. All the HOD's in HP.
4. All Div. Commissioners,/ DCs in HP
5. The Controller, P & S H.P. Shimla-5, for publication in the Rajpatra (Extra ordinary)
6. Guard File.

Deputy Secretary (Lab.&Emp.)
to the Government of HP

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :–

Name of Department: **Labour & Employment, Himachal Pradesh**

Govt. of Himachal Pradesh.
Directorate of Labour & Employment.

No: Shram(Prastha)11/05

Dated:21.2.2007

OFFICE ORDER.

The particulars of the organization, functions and duties etc. required to be published as per provisions of Sub-Section (1)(b)of Sec.4 of the Right to Information Act,2005 are as under:-

(I) Particulars of Labour & Employment Department, its Functions & Duties.

The Department is regulatory in nature and primarily concerned with ensuring the implementation of Labour Acts(26 Central & 2 of the State) and of the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act,1959. The Labour Wing of the department is primarily responsible for implementation /enforcement of Labour Laws and maintaining Industrial Peace. The Factory Wing is looking after the Registration of Factories, welfare & safety of workers working in such Factories. The Employment Wing gives Employment Assistance, primarily to the youth.

The names of the Labour Acts are as under:-

1. Bonded Labour System(Abolition) Act, 1976
2. Contract Labour(Regulation and Abolition)Act, 1970
3. Child Labour(Regulation and Prohibition)Act, 1986
4. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
5. Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act,1981

6. The Building and other construction workers Cess Act,1996
7. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
8. Employees State Insurance Act, 1948.
9. Equal Remuneration Act, 1976.
10. Factories Act, 1948.
11. Industrial Dispute Act, 1947.
12. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.
13. Interstate Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.
14. The Labour Laws (Exemption from furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988.
15. Maternity benefit Act, 1961.
16. Minimum Wages Act 1948
17. Motor Transport Workers Act, 1961.
18. Payment of Bonus Act1965,
19. Payment of Gratuity Act, 1972.
20. Payment of Wages Act 1936,
21. Plantation Labour Act, 1951.
22. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976.
23. Trade Unions Act, 1926.
24. Working Journalists and other Newspapers Employees (Condition of Service and Miscellaneous provisions) Act, 1955
25. Workman Compensation Act, 1923.
26. Boilers Act,1923

ैजाज्म ।ब्जै

1. Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act,1969
2. H.P.Industrial Establishments (National & Festivals Holidays, Casual & Sick leave) Act,1969

3. (II) Powers and duties of Officers and Employees:

Labour Commissioner- cum Director of Employment is also the Chief Inspector of Factories, Registrar of Trade Unions, Chief Inspector of Shops and Conciliation Officer under Industrial Disputes Act, 1947.

The Directorate monitors the working of the field offices .Registration of Factories is done under the Factories Act,1948 and disputes are referred

to the two Labour Courts -cum-Industrial Tribunals in H.P. at Shimla and Dharamshala under the Industrial Disputes Act,1947, Registration of Trade Unions is done under the Trade Union Act,1926 Registration of Motor Transport is done under Motor Transport Act Prosecution sanctions are given to the field functionaries to launch prosecution against the defaulters under various Labour Laws.

Employment Assistance is provided to Physically Handicapped and sponsoring of skilled registrants to private sector, inspection of sub-ordinate offices and Establishments in Private and Public Sector.

POWER & DUTIES:

Labour Commissioner:

Labour Commissioner is functioning as Chief Inspector of Factories, Shops and Commercial Establishments Act, 1969 .The Labour Commissioner is also functioning as Conciliation Officer under the Industrial Disputes Act, 1947 and Registrar Trade Unions under the Trade Unions under the Trade Unions Act, 1926. The Labour Commissioner also functions as Inspector under the various Labour laws. The Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Order) Act.

Joint Labour Commissioner:

The Joint Labour Commissioner is functioning as Additional Chief Inspector of Factories under the Factories Act,1948.The Certifying Officer under Industrial Employees(Standing Orders)Act, Appellate Authority under the Payment of Gratuity Act and also functioning as Inspector under various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Deputy Labour Commissioner:

The Deputy Labour Commissioner is functioning as Deputy Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948, Appellate Authority under the Contract Labour Act(R&A)Act,1970, Registering Officer under the Motor Transport Worker Act,1961 and also functioning as Inspector under the various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Labour Officers & Labour Inspectors:

Labour Officers and Labour Inspectors are also Conciliation Officers for Industrial Disputes .Labour Officers act as controlling authority to decide claims of gratuity under Payment of Wages Act,1970.Registration Officers and licensing officer under Contract -Labour Act(R&A)Act,1970 and Inter State Migrant Workmen(RECS)Act .Where there are more than 200 workers and Labour Officer is not posted in the District, there District Employment Officers discharge the duty of Conciliation Officer to try and resolve Industrial Dispute arising between management and workers. They also carry out Inspection of Public and Private Sector Units. Labour Officers and Labour Inspectors ensure implementation of Labour Acts including the shops registration, implementation of Minimum Wages and forwarding of cases regarding violation of provision of payment of wages ,Gratuity, Bonus to Directorate for obtaining prosecution sanctions.

Assistant Director of Factories:

Assistant Director of Factories looks after Registration of Factories and Safety & welfare of workers working therein.

EMPLOYMENT SECTION

At the Directorate Labour Commissioner-cum-Director of Employment is assisted by Deputy Director Employment and by Employment Market Information Officer, State Vocational Guidance Officer, Officer in Charge (Placement), (Special Employment Exchange for Physically Handicapped) and Employment Officer (Central Employment Cell).

Regional Employment Officers and District Employment Officers give Vocational Guidance, Career Counseling and Employment Assistance for jobs in Private Sector and Govt. Sector as well as for self employment, to such persons who are residing in their territorial jurisdiction. They also inspect subordinate Employment Exchanges. Private and Public sector establishments in their districts are also inspected by them and Employment Officers, Superintendent Grade-II and Statistical Assistants. In charges of Sub Office Employment Exchanges are also carrying out these functions except that of inspection. The two UEIGBs at HPU Shimla and Chaudhery Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur are giving vocational guidance mainly to the respective University students.

(III) Procedure followed in decision making process including channels of supervision and accountability:

All offices are working independently but under administrative control of next higher office. They can also be inspected by superior departmental officers .The office of Assistant Director of Factories Una , all University Employment Information Guidance Bureaus, Regional Employment Exchanges,District Employment Exchanges and office of Labour Officers are audited by A.G.Office from time to time.

(IV) The norms set by discharge of its function:

Registration and renewal of registration in Employment Exchange is done on the same day and sponsoring of registrants is also done within scheduled time (Generally four weeks).

(V) The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control:

Being a regulatory department it ensures the implementation of the Acts (and Rules) as mentioned at Sr. No. I hereinabove as also all Rules and instructions of Himachal Pradesh Govt. applicable on the Departments.

(VI) Statement of the categories of the documents:

A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control. Files related to ensuring the implementation the Acts & Rules mentioned against Sr.No.(V)hereinabove. Also files related to Budget, Plan, and Annual Administrative Report etc.

(VII) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof;

a) State Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of Hon'ble Employment Minister as Chairman, 16 Members and Director of Employment as Member Secretary includes representatives of Employers workers as well as public representatives.

b) District Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of respective DCs as Chairman,10 members and respective REOs/DEOs as Member Secretary including representatives of employers, workers and public representatives.

c) Minimum Wages Advisory Board constituted on 1.9.2003 comprising of Chairman, 37 members and member Secretary and constituted a committee on 30.1.2004 comprising of Chairman, 11 members and member Secretary.

d) Expert Committee under Building and Construction Act constituted on 24 Sep,2003 comprising of Chairman,9 members and member secretary

e) Regional Board for H.P. Region under ESI Act,1948 which consist of a Chairman,Vice-Chairman,3 members, Ex-Officio member,2 Employees Representative,6 Employers Additional Representative and member Secretary.

f) Regional Committee for State of H.P. under Employee Provident Fund Scheme, 1952 which consists of Chairman. 2 official members, 5 members of employers representative, 5 members of Employees representatives

g) Three local committees under Regional Board constituted under ESI(Gen)Regulation,1950 consisting following members: Chairman, Member ,Labour Inspector, Medical Officer, Incharge 4 members of Factory & Branch Manager, ESI Corporation.

h) State level Tripartite Committee which consist of Chaiman, Vice-Chairman, 14 members and Member Secretary.

i) State Advisory Contract Labour Board consisting Chairman,7 members, Member Secretary.

j) State Labour Welfare Board consisting Chairman (Chief Minister)112 Members and Member Secretary.

(VIII) A statement of the board, councils committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice, and as

to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.

As mentioned against item no (vii) hereinabove meetings are not open to public as such However, due care has been taken to involve all the stake holders.

(IX) Directory of Officers and Employees:

	Name	Designation	Office Telephone Nos.
1.	Sh.B.R Verma, IAS	Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P.	0177-2625085
2	Sh.R.K.Sandhu	Joint Labour Commissioner, Directorate	0177-2624157
3.	Sh.R.S.Siphiya	Deputy Labour Commissioner, Directorate.	0177-2624305
4.	Sh. Manoj Tomar	Deputy Director Employment, Directorate	0177-2624305
5.	Sh. A.K.Sood	Asstt. Director of Factories,Directorate	0177-2624157
6.	Smt. Sangeeta Gupta	Officer Incharge(Placement)	0177-2625277
7.	Sh. R.K.Gupta	Supdt. Grade-I,Directorate	0177-2625277
8.	Smt.Nirmla Sharma	District Employment Officer, Solan	01792-223746
9.	Mr.K.K.Sharma	District Employment Officer, Mandi	01905-235508
10.	Sh.Joginder Singh Patial	District Employment Officer, Kangra	01892-224892
11.	Mr.G.D.Kalta	District Employment Officer, Shimla	0177-2658174
12.	Miss Vandana Vaidya	Employment Market Information Officer,Shimla	01702-222274
13.	Sh. Hari Ram	Officiating District Employment Officer, Bilaspur	01978-222450
14.	Sh.Prem Singh	District Employment Officer, Kullu	01902-222522
15.	Sh.R.C.Katoch	District Employment Officer, Una	01975-226063
16.	Sh.Y.R.Dhiman	District Employment Officer, Hamirpur	01972-222318
17.	Sh. Mohinder Pal	Officiating District Employment Officer, Chamba	01899-222209
18.	-	CDPO L&S(Holding the Charge of District Employment Exchange, Keylong	01900-222252
19.	Sh. Munish Karol,L.O.	Holding the Charge of District Employment Exchange Rekong-Peo	01786-222291
20.	Sh.S.K.Kaushal	Labour Officer, Solan	01792-223745
21.	Sh.J.S.Negi	Labour Officer, Rampur	01782-234286
22.	Sh.T.R.Azad	Labour Office, Kullu	01902-223698
23.	Sh.R.P.Rana	Labour Office, Mandi	01905-235542
24.	Sh.P.S.Verma	Labour Officer,Baddi	01795-271210
25.	Sh. P.D.Sharma	Labour Officer,Nahan	01702-226144

26.	Sh. Raj KUmar	Labour Officer,Una	01975-224243
27.	Sh. Rajesh Pangania	Labour Officer,Chamba	01899-223233
28.	Sh. Darshan Singh Thakur	Labour Officer D/Shala	01892--225329
29.	Sh.Jitender Bindra	Labour Officer, Shimla	01792-223745
30.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer,Bilaspur	01978-221516
31.	Sh. Munish Karol	Labour Officer,Kinnaur	01786-220007

(X) The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations.

Post	**Pay Scale**
Labour Commissioner-cum-Director of Employment, IAS.	37400-67000
Assistant Director of Factories	15600-39100
Joint Labour Commissioner	15600-39100
Deputy Labour Commissioner	10300-34800
Deputy Director of Employment	10300-34800
District Employment Officers	10300-34800
Regional Employment Officers	10300-34800
Superintendent Grade-I	10300-34800
Labour Officers	10300-34800
Employment Officers	10300-34800
Law Officer	10300-34800
Superintendent Grade-II	10300-34800
Personal Assistant	10300-34800
Senior Scale Stenographer	10300-34800
Statistical Assistant	10300-34800
Senior Assistant	10300-34800
Labour Inspectors	10300-34800
Computer Operator	10300-34800
Junior Assistant	5910-20200
Junior Scale Steno	5910-20200
Driver	5910-20200
Steno-typist	5910-20200
Clerk	5910-20200

Daftri	4900-10680
Class-IV	4900-10680
Frash	4900-10680

(**XI)** The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans proposed expenditures and reports on disbursement s made; Standard Object of Expenditure wise budget is allocated to each Drawing and Disbursing Officer and expenditure is regularly monitored.

(XII) The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details beneficiaries of such programmes; Not Applicable.

(XIII) Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it;Not Applicable.

(**XIV)** Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form;Registration record of Regional Employment Exchange Shimla, Registration record of Central Employment Cell at Directorate , Salary disbursement at Directorate.

(XV) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained, for public use.The offices of the department are open to citizens for obtaining information on all working days , especially on all working Mondays when officers are available for meeting the citizens.

(XVI) The names ,designations and other particulars of the Public Information Officers;

(XVII) Such other information may be prescribed and thereafter up date those publications every year:

Annual Administrative Report is printed every Financial Year and is also available on the Departments website, alongwith other information, at Himachal.gov.in/Employment.